बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालयः—वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना

Rajdhani Vatika (Eco Park) 800001, Near Old Secretariat, Gate no.-2, Off Mall Road, Patna

(Ph. No. 0612-2233991, Email address: parkdivisionpatna@gmail.com)

SHORT TERM NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tender Notice No-08/ 2026-27
(ई—टेंडरिंग द्वारा **https://eproc2.bihar.gov.in/Beltron**)

1	विज्ञापनदाता का नाम एवं पता	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना
2	निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि	दिनांक—08.07.2026
3	परिमाण विपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक—16.07.2026 समय—11:00 A.M से दिनांक—24.07.2026 05:00 P.M तक। (www.eproc2.bihar.gov.in)
4	संवेदक द्वारा निविदा अपलोड की अंतिम तिथि	दिनांक—25.07.2026 के समय 05:00 P.M बजे तक। (www.eproc2.bihar.gov.in)
5	तकनीकी बीड खोलने की तिथि	दिनांक—27.07.2026 के समय—03:00 P.M बजे। (www.eproc2.bihar.gov.in)
6	वित्तीय बीड खोलने की तिथि	तकनीकी बीड में सफल होने के उपरान्त।

कार्य की विवरणी

क्र० सं०	निविदा का विवरण	अग्रधन की राशि (Online के माध्यम से) (www.eproc2.bihar.gov.in)	जमानत राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य (Online के माध्यम से) (www.eproc2.bihar.gov.in)	निविदा की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	शहीद वीर कुँवर सिंह आजादी पार्क, पटना में अवस्थित 03 (तीन) टर्फ पिचों एवं 03 (तीन) पी.सी.सी. पिचों का क्रिकेट प्रशिक्षण देने वाली ऐकेडमिक/सोसाईटी/व्यक्ति के लिए बन्दोबस्ती	रू० 50,000/— (पचास हजार रूपये)	पूरे वर्ष की कुल राशि का 25 (पच्चीस) प्रतिशत राशि	रू० 2000/— प्रति	दो वर्ष

Detailed description of the terms and conditions as well as tender form for submission of tender can be downloaded from https://www.eproc2.bihar.gov.in

Corrigendum/Attendum, if any, will be published after on the departmental website **https://state.bihar.gov.in/forest/** and e-procurement Portal Bihar **https:// www.eproc2.bihar.gov.in.**

- For any clarification regarding this tender, communication can be done at email ID-parkdivisionpatna@gmail.com or can be contact at Land line no.-0612-2233991 during working hours on working days.

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पटना पार्क प्रमंडल, पटना।

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालयः—वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना

Rajdhani Vatika (Eco Park) 800001, Near Old Secretariat, Gate no.-2, Off Mall Road, Patna

(Ph. No. 0612-2233991, Email address: parkdivisionpatna@gmail.com)

SHORT TERM NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender Notice No-08/2026-27

शहीद वीर कुँवर सिंह आजादी पार्क, पटना में अवस्थित 03 (तीन) टर्फ पिच एवं 03 (तीन) पी.सी.सी. पिचों का क्रिकेट प्रशिक्षण देने वाली ऐकेडमिक/सोसाईटी/व्यक्ति के लिए बन्दोबस्ती।

निविदा शर्तें

1. शहीद वीर कुँवर सिंह आजादी पार्क के क्रिकेट पिच क्षेत्र की बन्दोबस्ती दो वर्ष तक की अवधि के लिए संचालन हेतु दिनांक–25.07.2026 के अपराह्न 05:00 बजे तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना के पदनाम से क्रिकेट का प्रशिक्षण देने वाली ऐकेडमिक/सोसाईटी/व्यक्ति से विहित प्रपत्र में ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. ई–निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निविदादाताओं को ई–निविदा के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा, जहाँ उन्हें उपयोगकर्त्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/ ई–टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्प डेस्क 'mjunction services Ltd., R.J. Complex, 2nd Floor, Khajpura-Ashiana Road, Opp. Passport Office, P.S. Shastri Nagar, Patna- 800014, Toll Free No. 1800 572 6571, Email Id: eproc2support@bihar.gov.in' से सम्पर्क किया जा सकता है।
3. ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाईन डाउनलोड किये जा सकते हैं जिसके लिए रू० 2000/– (दो हजार रूपये) का ई–पेमेंट मोड (NEFT/RTGS/Credit Card/Debit Card, Net Banking) से भुगतान करना होगा। उसी प्रकार www.eproc2.bihar.gov.in को टेन्डर प्रोसेसिंग फीस का भुगतान भी ई–पेमेंट मोड से करना होगा। ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य तथा टेन्डर प्रोसेसिंग फीस अप्रत्यर्पणीय होगा।
4. ई–निविदाओं का 'तकनीकी बिड' दिनांक–27.07.2026 को 3.00 बजे अपराह्न वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना के कार्यालय में निविदा समिति द्वारा खोले जायेंगे। तकनिकी बिड में सफल हुये निविदाकर्ताओं का वित्तीय बिड खोली जायेगी।
5. निविदा प्रपत्र का मूल्य अप्रत्यर्पणीय (Non-refundable) है। क्रिकेट पिच क्षेत्र की जानकारी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, पार्क प्रक्षेत्र–1 से कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।
6. निविदाकर्त्ता द्वारा ई–पेमेंट मोड (NEFT/RTGS/Credit Card/Debit Card, Net Banking) से 50,000/– अग्रधन राशि के रूप में भुगतान करना होगा।
7. निविदाकर्त्ता को तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ अपने पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है। यदि किसी फर्म के नाम से निविदा समर्पित किया है तो निविदा समर्पित करने के लिए फर्म का प्राधिकार–पत्र (मूलरूप में) तथा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा फर्म के पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। (मूल प्रति निविदा समिति द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत करना होगा)।
8. क्रिकेट प्रशिक्षण देने वाली ऐकेडमिक/सोसाईटी/व्यक्ति इस बन्दोबस्ती के लिये निविदाकर्त्ता के लिये योग्य होगें।

9. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ पता और पहचान से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

10. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित अपना हस्ताक्षर मूलरूप में समर्पित करेंगे।

11. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ नोटरी द्वारा निर्गत मूल शपथ–पत्र जमा करेंगे जिसमें निविदाकर्त्ता इस बात की घोषणा करेंगे कि उनका नाम सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है और न ही कृष्णचिन्हित किया गया है।

12. निविदाकर्त्ता, तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ नोटरी द्वारा निर्गत मूल शपथ–पत्र जमा करेंगे जिसमें निविदाकर्त्ता इस बात की घोषणा करेंगे कि उनके द्वारा निविदा के साथ समर्पित कोई भी कागजात/अभिलेख निविदा खोलने के समय अथवा उसके बाद कभी भी असत्य, जाली अथवा नकली पाया जाता है तो उनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

13. तकनिकी निविदा में सफल निविदाकर्ता का ही वित्तीय निविदा का मूल्यांकन 01 (एक) टर्फ पिच एवं 01 (एक) पी०सी०सी० पिच के लिए निविदादाताओं द्वारा उच्चतम अर्पित दर प्रतिमाह के आधार पर तय किया जायेगा। इसके अंतर्गत यद्यपि तकनिकी निविदा हेतु सभी पिचों के लिये शर्तों के अनुपालनार्थ समान अभिलेख समर्पित किये जायेगे परन्तु वित्तीय निविदा हेतु प्रत्येक तरह के पिच के लिए अलग–अलग दर समर्पित करेगें। सफल निविदाकर्ता का चयन सभी पिचों के सकल योग के आधार पर नहीं किया जायेगा, अपितु प्रत्येक तरह के पिच के लिये समर्पित दरों में अधिकतम समर्पित दर के आधार पर प्रत्येक तरह के पिच के लिए सफल निविदाकर्ता का चयन (बशर्ते वह तकनीकी निविदा में सफल हो) किया जायेगा एवं उस तरह के सभी पिचों को उस तरह के पिच के सफल निविदाकर्ता को आवंटित कर दिया जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक पिच के किराये के दर से सभी पिचों का किराया उस सफल निविदाकर्ता को देना होगा।

14. ऐकैडमिक क्रिकेट खेल के क्षेत्र में कम से कम विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का प्रमाण–पत्र/शारीरिक शिक्षा में वैचलर डिग्री की शैक्षणिक योग्यता के साथ खेल प्राधिकारण या बी०सी०सी० आई बिहार से निबंधन का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति/सरकारी स्थल/मैदान/पार्क में न्यूनतम 3 वर्ष का क्रिकेट का ट्रेनिंग करा रहे उस सरकारी संस्था के प्रभारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करेगें।

15. टर्फ एवं पी.सी.सी. पिच के निर्धारित स्थल के बाहर किसी प्रकार की गतिविधि प्रतिबन्धित रहेगा। खेल परिसर या पिच को क्षति पहुँचाने पर पिच संचालक जिम्मेवार होगें।

16. आवंटित क्रिकेट पिच का निर्धारित मासिक किराया के अतिरिक्त नियमानुसार देय जी.एस.टी. का भुगतान भी अलग से प्रतिमाह करना होगा।

(क) निविदाकर्त्ता द्वारा तकनीकी बिड (प्रपत्र 'क') के साथ समर्पित किये जाने वाले कागजातः–

I- निविदा–प्रपत्र का मूल्य 2,000/– रूपये का प्रमाण ऑनलाईन (NEFT/RTGS/Credit Card/Debit Card, Net Banking से) किये जाने का प्रमाण तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

II- अग्रधन की राशि 50,000/– रूपये का प्रमाण ऑनलाईन (NEFT/RTGS/Credit Card/Debit Card, Net Banking से) किये जाने का प्रमाण तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

III- पैन कार्ड की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।

IV- पता और पहचान से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।

V- अकैडमिक क्रिकेट खेल के क्षेत्र में कम से कम विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का प्रमाण–पत्र अथवा शारीरिक शिक्षा में वैचलर डिग्री की शैक्षणिक योग्यता के साथ खेल प्राधिकारण या बी०सी०सी० आई बिहार से निबंधन का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति अथवा सरकारी (स्थल/मैदान/पार्क) में न्यूनतम 3 वर्ष का क्रिकेट का ट्रेनिंग करा रहे उस सरकारी संस्था के प्रभारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करेगें।

VI- राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निविदाकर्त्ता का अभिप्रमाणित हस्ताक्षर (मूलरूप में)।

VII- नोटरी का मूल शपथ–पत्र जिसमें निविदाकर्त्ता घोषणा करेंगे कि उनका नाम सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है और न ही कृष्णचिन्हित किया गया है।

VIII- नोटरी का मूल शपथ–पत्र जिसमें निविदाकर्त्ता घोषणा करेंगे कि उनके द्वारा निविदा के साथ समर्पित कोई भी कागजात/अभिलेख निविदा खोलने के समय अथवा उसके बाद कभी भी असत्य, जाली अथवा नकली पाया जाता है तो उनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

IX- प्रशिक्षण देने का प्रमाण–पत्र/अन्य साक्ष्य जो किसी संस्था जहाँ प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत रहे हैं के संचालक द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करेगें।

(ख) वित्तीय बिड

निविदाकर्त्ता ई–निविदा प्रपत्र 'ख' पर ही अपना दर साफ–साफ अक्षरों में अंकित करेंगे जो अंक एवं शब्द दोनों में होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में निविदाकर्त्ता वित्तीय बिड के अभिलेख को तकनीकी बिड के अभिलेख के साथ समर्पित नहीं करेगें। वित्तीय बिड का अभिलेख निश्चित रूप से अलग समर्पित किया जाना होगा।

(ग) अन्य शर्तेः–

17. यदि दो या अधिक निविदाकर्त्ता के द्वारा एक ही दर अर्पित किया जाता है तो निविदा का निर्णय **पर्ची** निकाल कर किया जाएगा।
18. निविदा खोलने अथवा उसके बाद कभी भी यदि यह पाया जाता है कि निविदाकर्त्ता द्वारा निविदा के साथ समर्पित कोई भी कागजात/अभिलेख असत्य, जाली अथवा नकली है तो वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। सफल निविदाकर्त्ता के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज किया जा सकता है तथा एकरारनामा को रद्द करते हुए उनके जमानत की राशि को राज्यसात कर कृष्णचिन्हित किया जा सकता है।
19. सफल निविदाकर्त्ता को निविदा स्वीकृति तिथि के एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करना होगा। एकरारनामा के लिए सफल निविदाकर्त्ता को रू० 1000/– का नन्–जुडिशियल स्टाम्प वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना के कार्यालय में जमा करना होगा। साथ ही सफल निविदाकर्त्ता को निविदा अवधि (एक वर्ष) की कुल राशि का 25% (पचीस प्रतिशत) राशि जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। जमानत की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के एस०टी०डी०आर०/बैंक गारन्टी के रूप में एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना के पदनाम से प्लेज्ड (Pledged) कराकर जमा करना होगा।
20. एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने, जमानत राशि एवं एक माह का अग्रिम किराया तथा जी.एस.टी. का देय राशि जमा करने के उपरान्त ही सफल निविदाकर्त्ता को क्रिकेट पिच संचालन की अनुमति दी जायेगी। यदि सफल निविदाकर्त्ता एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने, जमानत राशि एवं एक माह का अग्रिम सहित जी.एस.टी की राशि जमा करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा सत्यांकार (अग्रधन) की राशि राज्यसात कर ली जायेगी।
21. सफल निविदाकर्ता को अर्पित किराया राशि के अतिरिक्त अनुमान्य GST भी देना होगा।
22. यदि सफल निविदाकर्त्ता द्वारा कंडिका–19 का उल्लंघन किया जाता है तो वैसी स्थिति में प्रथम सफल निविदाकर्त्ता के सत्यंकार राशि (अग्रधन) को राज्यसात करते हुए, कृष्णचिन्हित किया जा सकता है। प्रथम (उच्चतम) सफल निविदाकर्त्ता के दर पर द्वितीय उच्चतम दर अर्पित करने वाले निविदाकर्त्ता को कार्य दिए जाने पर निविदा समिति विचार कर सकती है।
23. सफल निविदाकर्त्ता को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एक माह का अग्रिम किराया सहित जी.एस.टी की राशि जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह का किराया 5 वीं तारीख तक भुगतान करना संबंधित प्रक्षेत्र कार्यालय में करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रतिमाह 05 वीं तारीख के बाद भुगतान करने पर 3% वृध्यात्मक (incremental) शुल्क के साथ भुगतान करना अनिवार्य होगा। तीन माह तक किराया जमा नहीं किए जाने की स्थिति में संचालक का जमा प्रतिभूति/जमानत राशि को राज्यसात कर लिया जाएगा।
24. चूँकि यह निविदा दो वर्षों के लिये मान्य होगी, अतः द्वितीय वर्ष में क्रिकेट पिच संचालक प्रथम वर्ष में दे रहे किराया राशि में 20 % वृद्धि करते हुये अपना एकरारनामा जारी रख सकेगें। दो वर्षों के पश्चात् एकरारनामा को स्वतः विलोपित समझा जायेगा। उसके पश्चात् प्रत्येक दिन संचालन मासिक किराया के अतिरिक्त 5000/– का जुर्माना राशि वसूली जायेगी।

25. सफल निविदाकर्त्ता (क्रिकेट पिच संचालक) निर्धारित अवधि के बीच क्रिकेट पिच क्षेत्र का संचालन करने से इंकार नहीं करेंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके द्वारा जमा प्रतिभूति राशि/जमानत राशि राज्यसात कर ली जाएगी।

26. सरकार को देय सभी तरह के वैधानिक करों यथा आयकर इत्यादि/देयताओं का भुगतान सफल निविदाकर्त्ता (क्रिकेट पिच संचालक) को अलग से करना होगा जिसकी जिम्मेवारी संचालक की होगी।

27. समय पर अग्रिम राशि का भुगतान नहीं करने पर क्रिकेट पिच संचालक द्वारा जमा जमानत राशि को राज्यसात करने तथा निविदा रद्द करने का पूरा अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना को होगा। इसके अतिरिक्त यदि क्रिकेट पिच संचालक के विरूद्ध कोई राशि बकाया रह जाता है तो नीलाम–पत्र मुकदमा दर्ज कर ब्याज सहित राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

28. क्रिकेट पिच संचालक के क्रिकेट पिचों के संचालन में यदि कोई गड़बड़ी अथवा अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित क्रिकेट पिच संचालक का एकरारनामा रद्द करने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना को होगा।

29. क्रिकेट पिच संचालक को क्रिकेट पिच का रख–रखाव एवं साफ–सुथरा रखना होगा यदि वे ऐसा नही करते है तो जुर्माना के भागी होगे एवं इसके संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं संचालक को मान्य होगा। संचालक की जिम्मवारी होगी कि क्रिकेट पिच एवं नेट की गुणवता का रख–रखाव (Maintenance) करेंगे तथा एकरारनामा की समाप्ति पर पिच एवं नेट जिस हालत में उन्हे सौपा गया था उसी हालत में विभाग को वापस करेगें। ऐसा नहीं करने पर पिच एवं नेट की गुणवता बाहाल करने पर विभाग द्वारा खर्च की गयी राशि की वसूली संवेदक से की जायेगी।

30. क्रिकेट पिच को साफ–सुथरा रखने की जिम्मेवारी संचालक की होगी जिसका निरीक्षण पटना पार्क प्रमंडल, पटना के पदाधिकारियों के द्वारा समय–समय पर किया जाएगा।

31. खेल पिच का समय एवं संख्या : टर्फ पिच एवं पी०सी०सी० पिच के एक सेट पर 50 से अधिक बच्चे नही होगें। पार्क बन्द होने के निर्धारित समय के अनुसार ही खेल परिसर का संचालन बन्द करना होगा।

32. खेल परिसर में आवश्यक प्रकाश व्यवस्था बनाये रखने के लिए निविदाकर्ता को विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति की सुविधा नहीं दी जायेगी। सफल निविदाकर्ता अपने स्तर से प्रीपेड मीटर लगायेगे।

33. क्रिकेट की सुविधा के लिए मासिक शुल्क रू 400/–(चार सौ) प्रति माह से अधिक बच्चों से वसूलनीय नही होगी। इस मासिक शुल्क से संचालक द्वारा क्रिकेट पिच, क्रिकेट ट्रेनर की सुविधा खेलने वाले बच्चों को अलग से उपलब्ध कराई जायेगी।

34. क्रिकेट पिच संचालक क्रिकेट पिच पर खेलने वाले बच्चों से किक्रेट के ट्रेनिंग हेतु निर्धारित शुल्क से अधिक वसूल नहीं कर सकेगें।

35. संचालक को क्रिकेट पिच के निकट **एक बड़े साईज के पट्ट पर दर तालिका** लगाना होगा जिस पर निर्धारित दर साफ–साफ अंकित करना होगा।

36. संचालक, क्रिकेट पिच के संचालन के लिये निर्धारित दर का टिकट स्वयं छपवायेंगे एवं अपना कर्मचारी रखकर पिच का संचालन करेगें। रखे गये कर्मचारियों का पूरा पता संचालक संबंधित पार्क के प्रक्षेत्र पदाधिकारी के कार्यालय में देगें तथा उनके प्रत्येक गतिविधि की जिम्मेवारी संचालक की होगी।

37. संचालक अपने खर्च पर क्रिकेट पिच में खेलने वाले बच्चों के सुरक्षा हेतु क्रिकेट पिच परिसर में सी. सी.टी.वी. कैमरा अवश्य स्थापित करेंगे।

38. पार्किंग में संचालक या खेलने वाले बच्चे वाहन पार्किंग करेगें तो उन्हे पार्किंग का निर्धारित शुल्क का भुगतान अलग से करना होगा।

37. क्रिकेट पिच को छति पहुँचाये जाने पर पिच का पुर्ननिर्माण करना होगा अथवा विभाग द्वारा पुनः निर्माण में व्यय की राशि पिच संचालक से वसूल किया जायेगा।

39. खेलने वाले बच्चों के सामान की चोरी होने अथवा खो जाने पर पूरी जिम्मेवारी संचालक की होगी तथा बच्चों को हर्जाना का भुगतान संचालक के द्वारा ही करना होगा।

40. क्रिकेट पिच से संबंधित निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली की शिकायत मिलने एवं दोषी पाये जाने पर प्रत्येक दोष के लिए संचालक दण्ड के भागी होंगे। प्रत्येक दोष के लिए दण्ड की राशि न्यूनतम रू० 5000/– (पाँच हजार रूपये) होगी।

41. सफल निविदाकर्त्ता को यह अधिकार नहीं होगा कि किसी और व्यक्ति/संस्था/सोसाईटी को Subletting (उपकिरायेदारी) कर पिच का संचालन करायें।

42. वन प्रमंडल पदाधिकरी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना को अधिकार होगा कि निविदा की शर्तो के उल्लंघन के आरोप में अथवा एक माह के अग्रिम सूचना पर बिना कारण बताये सफल निविदाकर्ता का निविदा रद्द कर सकते हैं।

43. निविदा प्रपत्र में निविदाकर्त्ता इस बात को प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तो को पढ़ा / पढ़वाया और समझा है तथा वे सभी शर्तो को स्वीकार करते हैं।

44. वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी / सभी निविदा को अस्वीकृत कर दें।

45. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र पटना जिला होगा।

Piyush

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पटना पार्क प्रमंडल, पटना।

SHORT TERM NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender Notice No-08/2026-27

दो वर्ष की अवधि के लिये शहीद वीर कुँवर सिंह आजादी पार्क, पटना में अवस्थित 03 (तीन) टर्फ पिचों एवं 03 (तीन) पी.सी.सी. पिचों का क्रिकेट का प्रशिक्षण देने वाली ऐकेडमिक/सोसाईटी/व्यक्ति के लिए बन्दोबस्ती हेतु तकनीकी बिड का प्रपत्र।

प्रपत्र 'क'

क्रमांक	तकनीकी सूचना	निविदात्त्ता द्वारा समर्पित सूचना	पृष्ठ संख्या
1	निविदादाता प्रपत्र का मूल्य (NEFT/RTGS/Credit Card/Debit Card, Net Banking) से द्वारा भुगतान किये जाने का प्रमाण।		
2	सत्यंकार (अग्रधन की राशि) 50,000/– (रूपये पचास हजार) (NEFT/RTGS/Credit Card/Debit Card, Net Banking) भुगतान किये जाने का प्रमाण।		
3	पैन कार्ड की प्रति।		
4	पता और पहचान–पत्र से संबंधित स्वःहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।		
5	अकैडमिक क्रिकेट खेल के क्षेत्र में कम से कम विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का प्रमाण–पत्र/शारीरिक शिक्षा में वैचलर डिग्री की शैक्षणिक योग्यता के साथ खेल प्राधिकारण या बी०सी०सी० आई बिहार से निबंधन का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (सरकारी/स्थल/मैदान/पार्क) में न्यूनतम 3 वर्ष का क्रिकेट का ट्रेनिंग करा रहे उस सरकारी संस्था के प्रभारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रति।		
6	राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हस्ताक्षर (मूलरूप में)।		
7	नोटरी का मूल शपथ–पत्र जिसमें निविदाकर्त्ता घोषणा करेंगे कि उनका नाम सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है और न ही कृष्णचिन्हित किया गया है।		
8	नोटरी का मूल शपथ–पत्र जिसमें निविदाकर्त्ता घोषणा करेंगे कि उनके द्वारा निविदा के साथ समर्पित कोई भी कागजात/अभिलेख निविदा खोलने के समय अथवा उसके बाद कभी भी असत्य, जाली अथवा नकली पाया जाता है तो उनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।		

निविदाकर्ता का हस्ताक्षरः–

पूरा पताः–

मो०+पो०+थानाः–

जिलाः–

पिन कोडः–

मोबाईल नं०ः–

ई–मेलः–

SHORT TERM NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tender Notice No-08/2026-27

एकरारनामा की तिथि से (दो वर्ष) तक शहीद वीर कुँवर सिंह आजादी पार्क, पटना में अवस्थित 03 (तीन) टर्फ पिचों एवं 03 (तीन) पी.सी.सी. पिचों का क्रिकेट का प्रशिक्षण देने वाली ऐकेडमिक/सोसाईटी/व्यक्ति के लिए बन्दोबस्ती हेतु वित्तीय बिड का प्रपत्र।

प्रपत्र 'ख'

प्रेषक,

नामः–
पिता का नामः–

पत्राचार का पताः–
दूरभाष/ मोबाईल संख्या–
ई–मेल –

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पटना पार्क प्रमंडल, पटना।

महाशय,

निम्नांकित पार्कों में अवस्थित टर्फ पिच एवं पी.सी.सी. पिच का अर्पित मूल्य प्रतिमाह में

पार्क का नाम	एक पी.सी.सी. पिच अर्पित दर प्रतिमाह में (अंक एवं शब्दों में)	अतः 03 पी.सी.सी. पिच के लिये अर्पित दर प्रतिमाह (अंक एवं शब्दों में) = 3 x (कॉलम–1)
	कॉलम–1	कॉलम–2
शहीद वीर कुँवर सिंह आजादी पार्क		

पार्क का नाम	एक टर्फ पिच अर्पित दर प्रतिमाह में (अंक एवं शब्दों में)	अतः 03 टर्फ पिच के लिये अर्पित दर प्रतिमाह (अंक एवं शब्दों में) = 3 x (कॉलम–1)
	कॉलम–1	कॉलम–2
शहीद वीर कुँवर सिंह आजादी पार्क		

1. उक्त पते पर जो भी पत्राचार किया जाएगा, मुझे स्वीकार्य होगा।
2. यदि मेरा निविदा स्वीकार किया जाता है तो मैं निविदा शर्त की कंडिका 19 के अनुसार निविदा अवधि की कुल राशि की 25% (पचीस प्रतिशत) राशि जमानत राशि के रूप में जमा करूंगा।
3. मैंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़वाया और समझा है तथा मैं सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

आपका विश्वासी,

पत्राचार का पूरा पताः–
मो०+पो०+थानाः–
जिलाः–
पिन कोडः–
मोबाईल नं०ः–
ई–मेलः–